HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 10th December, 1987

No. 11580/SA-2. **Cash Leave.**—In accordance with the instructions contained in Haryana Government, Finance Department, letter No. 11/5/78-FR-II, dated 13th February, 1978, 11/5/78-FR-II, dated 21st August, 1978 read with the advice received from the Home Department Haryana, *vide* their letter No. 17/1/79-HGI, dated 25th April 1979, and No. 11/50/87-1FR-II, dated 29th April, 1987, the cash payment in lieu of 240 days unutilised leave equivalent to leave salary is sanctioned to Shri Satishinder Nath Khanna, Deputy Supdt. of Police, Cryptography, Police Wireless Haryana, Chandigarh who has retired on superannuation on 30th November, 1987 on the following conditions :—

(i) The cash equivalent of leave salary thus admissible will be paid in lump sum as one-time settlement.

ii) The cash payment will be equal to leave salary admissible for earned leave and dearness allowances admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement and no compensatory allowance, house rent allowance and kit maintenance allowance shall be payable.

It is certified that Shri Satishinder Nath Khanna, Deputy Supdt. of Police did not avail of any portion of L.P. R. of 240 days before the date of superannuation.

HANS RAJ SWAN,

Director-General of Police, Haryana.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 दिसम्बर, 1987

क्रमांक 1413-ज(I)-87/37568.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा (3)(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मांगे राम, पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव ठरू, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 17 दिसम्बर, [illegible]

क्रमांक 1349-ज(2)-87/37858.—श्री बीरू राम, पुत्र श्री सांवल राम, निवासी गांव भोंड़ी, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3047-ज-(1)-72/46415, दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक [illegible]789-ज-(I)-79/44024, दिनांक [illegible] द्वारा [illegible] रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बीरू राम की दिनांक 3[illegible] अगस्त, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बीरू राम की विधवा श्रीमति [illegible] देवी के नाम रबी/1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत, तबदील करते हैं।

सोम नाथ रत्न,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।